मूल वाद संख्या 2022/041

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर.

सुशीला व अन्य बनाम रामेश्वरी देवी व अन्य

विविध प्रार्थना संख्या 2022/022

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश कमांक एवं दिनांक
16.05.2022	वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण को एक पक्षीय सुना गया। बहस अधिवक्ता, शपथ–पत्र एवं सलग्न दस्तावेजात के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि उभयपक्ष प्रश्नगत आराजी चक 12 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर, पटवार हल्का 13 जी छोटी, भू0अ0नि0 क्षेत्र चुनावढ़ के खाता संख्या 76/45, मु0 नं0 3 की 3.162 है0 में से 1/3 हिस्सा अर्थात् 1.054 है0, खाता संख्या 54/51, मु0 नं0 41 की 0.759 है0 में से 320/759 हिस्सा अर्थात् 0.320 है0, खाता संख्या 19/13, मु0 नं0 23 की 1.265 है0 में से 17/253 हिस्सा अर्थात् 0.085 है0 में आगामी तारीख पेशी तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इस संबंध में कोई उज्र/ऐतराज हो तो वकालतन/ असलतन आगामी तारीख पेशी तक पेश करे। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड ए.डी. से तामील करवाकर 03 दिवस में रसीदें पेश करे। इसके अभाव मे अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अप्रार्थीगण के नाम से रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 13 जून, 2022 को पेश हो। मनोज कुमार मीना (R.A.S) सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर	
13/6/22	आज बार संघ न कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/7/22 को पेश हो।	
6/7/22	अधिवक्तागण उपस्थित, प्रतिवादी सं०-2 की ओर [illegible] अधिवक्ता श्री दलीप कुमार [illegible] मीना आपत्ति पेश [illegible] प्रतिवादी सं० 3,4,5 को जारी पंजीकृत तलबी की ए.डी. प्राप्त, जो भी बाद तामील प्राप्त हुए है। प्रतिवादी सं० 3,4,5 को जरिये चपरासी आवाज लगाये जाने पर भी उपस्थित नहीं, अतः प्रतिवादी सं० 3,4,5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली शेष प्रतिवादीगण की इजरा तलबी हेतु दिनांक 27/7/22 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.04 17:39:45 IST
Reason: SelfAttested

28.11.24

अधिवक्ता प्रार्थी उप० नहीं। चूंकि
मूलवाद अदम पैरवी/अदम हाजरी
में खारिज किया जा चुका है अतः
वि० प्रा० पत्र 42 RTA का कोई
औचित्य नहीं रह जाता है अतः
कि प्रार्थना पत्र 42 RTA सं.
2022/22 अनवानी देवी व अ
अन्य बनाम रामेश्वरी व अन्य
भी अदम पैरवी/अदम हाजरी में
खारिज किया जाता है पत्रावली
नस्तीबद्ध हो पत्रावली दायरापंजिका
के क्रम से जमा की जाकर निर्णित
की सूची में शामिल हो। ह०

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.04 17:39:45 IST
Reason: SelfAttested